



क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार
कर्मचारीराज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

पंचदीप भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना-800001
फोन नं० -0612-2521928, फैक्स नं०-0612-2533314 ई-मेल rd-bihar@esic.in
वेबसाइट:- www.esicbihar.in

क्षेत्रीय निदेशक की अध्यक्षता में दिनांक 13.09.2017 को अपराह्न 3.00 बजे क्षेत्रीय कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, पटना के सभा कक्ष में सुविधा समागम आयोजित किया गया, जिसमें निम्नलिखित अधिकारीगण/प्रतिनिधिगण उपस्थित थे:-

| क्र० | नाम एवं पदनाम | |
|------|---|------------|
| 1. | श्री अरविन्द कुमार, अपर आयुक्त-सह-क्षेत्रीय निदेशक | अध्यक्ष |
| 2. | डॉ० तृप्ति चौधरी, उप निदेशक, चिकित्सा सेवाएं कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार सरकार | सह सदस्य |
| 3. | डॉ० अनीश सिंहल, राज्य चिकित्सा आयुक्त | सह सदस्य |
| 4. | डॉ० बी० के० अग्रवाल, प्रतिनिधि, चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा आदर्श अस्पताल, फुलवारीशरीफ | सह सदस्य |
| 5. | श्री कनक प्रकाश, उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया बीड़ी मजदूर महासंघ | सह सदस्य |
| 6. | श्री जयंत कुमार, सहायक निदेशक, हितलाभ शाखा क्षे० का०, क० रा० बी० निगम. पटना | सदस्य सचिव |

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय एवं सदस्य सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित माननीय सदस्यगण, आमंत्रितों एवं उपस्थित बीमित व्यक्तियों का स्वागत किया गया। सदस्य सचिव द्वारा पिछले बैठक का कार्यवृत्त एवं अनुपालन प्रतिवेदन पढ़कर माननीय सदस्यों एवं उपस्थित बीमित व्यक्तियों को सम्यक् रूप से अवगत कराया गया। तत्पश्चात् इस बैठक में उपस्थित बीमित व्यक्तियों की शिकायत पर एक-एक करके निम्नानुसार विचार/ निर्णय लिया गया :-

| क्रम सं० | बीमित व्यक्ति का नाम, बीमा संख्या एवं मोबाईल नंबर | संबंधित औषधालय/ अस्पताल/ कार्यालय | शिकायत/ सुझाव संक्षेप | संबंधित कार्यालय/ शाखा एवं निदान | अनुपालन संबंधित कार्यालय/ शाखा | दिनांक 13.09.2017 को संपन्न क्षेत्रीय कार्यालय, पटना में सुविधा समागम की बैठक में प्राप्त शिकायतों पर दिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवृत्त का अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट |
|----------|---|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|
|----------|---|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|--|
| 1 | <p>नाम – श्री रविन्द्र कुमार बीमा संख्या – 4201432232 मोबाइल नंबर – 9234926747 9473104273</p> | <p>ई0 एस0 आई0 औषधालय, कलमबाग चौक, मुजफ्फरपुर कलावती इन्टरप्राइजेज प्रा0 लिमिटेड आई0 ए0 एस0 कॉलोनी किदवईपुरी, पटना</p> | <p>बीमित व्यक्ति ने शिकायत किया कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल कम पास हुआ है, उसके बारे में बतायें।</p> | <p>श्री रविन्द्र कुमार, बीमित व्यक्ति ने बताया कि उनका एम0 आर0 सी0 बिल 60 हजार रुपये का था पर यह 34 हजार रुपये ही खाता में आया है। शेष राशि के बारे में बताये। सुविधा समागम में निर्णय हुआ कि एम0 आर0 सी0 बिल का पेमेन्ट जो ई0 एस0 आई0 सी0 से आया है उसकी जांच के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय कार्यालय की वित्त शाखा को भेजा जाए।</p> | <p>वित्त शाखा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना</p> | <p>बीमित व्यक्ति के शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु दिनांक 13.09.2017 वित्त एवं लेखा शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु दिनांक 25.09.2017 को अग्रसारित कर दिया गया है।</p> |
| 2 | <p>नाम – श्री मनोहर कुमार बीमा संख्या – 4215163876 मोबाइल नंबर – 98352841461 8210188544</p> | <p>ई0 एस0 आई0 औषधालय, बाटा औषधालय, नासरीगंज पटना –12 अनन्या ट्रैक्टर्स, नासरीगंज पटना –12</p> | <p>बीमित व्यक्ति ने निम्नलिखित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल के संबंध में शिकायत किया। 1.बिल नं0- 80 - 17448रु0 दिनांक 22.02.2017 2 .बिल नं0 - 40 - 13416 दिनांक 27.06.2017</p> | <p>बीमित व्यक्ति ने कहा कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल फरवरी और जून महीने के है जिसका भुगतान अभी बाकी है। राज्य चिकित्सा आयुक्त महोदय ने इस पर कहा कि वे बिल के डिटेल उन्हें बता दें और अगर कोई छाया प्रति हो तो उसे जमा करें और न होने पर भी उनके बिल अतिशीघ्र प्रोसेस किये जायेंगे।</p> | <p>एस0 एम0 सी0 कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना</p> | <p>बीमित व्यक्ति के शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु दिनांक 13.09.2017 को संपन्न सुविधा समागम का कार्यवृत्त का अनुवर्ती कार्रवाई हेतु राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु दिनांक 25.09.2017 को अग्रसारित कर दिया गया है।</p> |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|--|
| 3 | <p>नाम —श्री मदन कुमार सिंह बीमा संख्या— 6015621068 मोबाइल नंबर— 8873002050</p> | <p>आदर्श अस्पताल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, फुलवारीशरीफ, पटना झीम ज्वेल अपार्टमेंट, आर0 के0 पुरम0 सगुना मोड़, पटना। फ्लैट नंबर — 306, बी0 ब्लॉक</p> | <p>बीमित व्यक्ति ने शिकायत किया कि उनके पिता के किडनी के मरीज होने के कारण ई0 एस0 आई0 औषधालय, जमाल रोड से रेफर करवाने तथा आदर्श अस्पताल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, फुलवारीशरीफ, पटना में डॉक्टर के द्वारा देखे जाने के बाद डायलेसिस की अनुमति दी गयी है लेकिन दवा नहीं लिखी जा रही है और न उपलब्ध करवाई जा रही है। दवा महंगी होने के कारण खरीदने में असमर्थ हूँ। उपचार करवाने की मेरी आय उतनी नहीं है। कृपया करके दवा जल्द से जल्द उपलब्ध करवाई जाय।</p> | <p>बीमित व्यक्ति श्री मदन कुमार सिंह ने कहा कि उनके पिता जी किडनी के मरीज है। उनकी दवा आदर्श अस्पताल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, फुलवारीशरीफ, पटना से उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। बैठक में चिकित्सा अधीक्षक के प्रतिनिधि डॉक्टर बी0 के0 अग्रवाल ने कहा कि वहां के चिकित्सक/विशेषज्ञ एस0 एस0 टी0 की लिखी जा रही है दवा दुबारा लिखकर देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसके कारण मरीज को दवा उपलब्ध कराने में मुश्किल होती है। सुविधा समागम में परिचर्चा के बाद इस पर खेद व्यक्त किया गया कि आदर्श अस्पताल के विशेषज्ञ सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल से लिखी दवा देने में मदद नहीं कर रहे हैं। जबकि अन्य ई0 एस0 आई0 सी0 अस्पतालों में दवा दुबारा लिखने की व्यवस्था उपलब्ध है। अतः निर्णय हुआ कि राज्य चिकित्सा आयुक्त महोदय इस संबंध में सख्त दिशा—निर्देश जारीकरने हेतु चिकित्सा आयुक्त, मुख्यालय को पत्र लिखेंगे क्योंकि महानिदेशक महोदय ने अपने दिसंबर 2015 के दौरे में यह स्पष्ट कहा था कि सुपर स्पेशियलिटी की बीमारी के इलाज के लिए दवा अस्पताल से ही उपलब्ध करायी जाएगी। क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने कहा कि इस संबंध में संबंधित अस्पताल को ब्यौरा उपलब्ध करा दिया गया था और इसके बावजूद दवा नहीं मिल रही है जो बहुत दुख की बात है। इस बीच सर्वसम्मति से यह भी निर्णय हुआ कि ऐसी परिस्थिति में बीमित व्यक्ति दवा खरीद कर उसके बिल भुगतान हेतु संबंधित औषधालय / निदेशालय के दफ्तर में भिजाएँ जिसका शीघ्र भुगतान कर उनकी मदद करें। इस पर सुविधा समागम में एकमत होकर सबों ने अपनी सहमति जताई।</p> | <p>आदर्श अस्पताल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, फुलवारीशरीफ, पटना</p> | <p>बीमित व्यक्ति के शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु दिनांक 13.09.2017 को संपन्न सुविधा समागम का कार्यवृत्त का अनुवर्ती कार्रवाई हेतु निदेशक, चिकित्सा सेवाएं कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु दिनांक 25.09.2017 को अग्रसारित कर दिया गया है।</p> |
|---|---|---|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|--|
| 4 | <p>नाम – श्री सुबोध कुमार केशरी बीमा संख्या – 4215363165 मोबाइल नंबर – 8936073047</p> | <p>ई0 एस0 आई0 औषधालय, बिहटा सिद्धि विनायक पटना एच0 एन0 –56 एस0 बी0 आई0, कॉलनी दीघा घाट पटना – 11</p> | <p>बीमित व्यक्ति ने बिल के भुगतान के संबंध में शिकायत किया।</p> | <p>बीमित व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने चिकित्सा प्रतिपूति बिल ई0 एस0 आई0 औषधालय, बिहटा मे जमा किया था जो दिनांक 13.06.2017 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना भेजा गया। सुविधा समागम में परिचर्चा के बाद यह निर्णय हुआ कि राज्य चिकित्सा आयुक्त महोदय बीमित व्यक्ति के बिल का शीघ्र निष्पादन करायेंगे।</p> | <p>एस0 एम0 सी0 कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना</p> | <p>बीमित व्यक्ति के शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु दिनांक 13.09.2017 को संपन्न सुविधा समागम का कार्यवृत्त का अनुवर्ती कार्रवाई हेतु राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु दिनांक 25.09.2017 को अग्रसारित कर दिया गया है।</p> |
| 5 | <p>नाम – श्री संतोष कुमार शर्मा बीमा संख्या– 4200697110 मोबाइल नंबर– 8877979438</p> | <p>ई0 एस0 आई0 औषधालय, दीघा बाटा इण्डिया लिमिटेड, बाटागंज</p> | <p>बीमित व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित शिकायत किये गये :- 1. दवा का बिल संबंधी समस्या 2. यात्रा भत्ता की समस्या</p> | <p>बीमित व्यक्ति ने बताया कि अस्पताल में डायग्नोस्टिक सुविधा की व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने अनुरोध किया कुछ चिकित्सा बिल पड़े हुये है, जिसे शीघ्र निष्पादित किया जाए। राज्य चिकित्सा आयुक्त व उप निदेशक चिकित्सा सेवाएं ने बताया कि दवा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी क्योंकि दवाइयों आ चुकी हैं और गुणवत्ता जांच के लिए भेजी गयी है, जिसकी रिपोर्ट आने पर शीघ्र ही वितरित की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि डायग्नोस्टिक सुविधा के लिए विभिन्न सेंट्रों के साथ टाई-अप किया गया है और औषधालय के डॉक्टरों को निर्देश दिया जा रहा है। साथ ही उनका</p> | <p>निदेशक, चिकित्सा सेवाएं कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार सरकार</p> | <p>बीमित व्यक्ति के शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु दिनांक 13.09.2017 को संपन्न सुविधा समागम का कार्यवृत्त का अनुवर्ती कार्रवाई हेतु निदेशक, चिकित्सा सेवाएं कर्मचारी राज्य बीमा योजना,</p> |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|
| | | | | <p>यह भी अनुरोध था कि बैठक में बारी-बारी से संबंधित चिकित्सा पदाधिकारियों को भी सुविधा समागम में बुलाया जाए ताकि उनका शिकायत बेहतर तरीके से दूर करने पर विचार किया जा सके। इस पर सुविधा समागम में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि निदेशक चिकित्सा सेवाएँ, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार सरकार प्रत्येक सुविधा समागम की बैठक में बारी-बारी से एक-एक औषधालय के चिकित्सा पदाधिकारी को नामित करें।</p> | | <p>बिहार सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु दिनांक 25.09.2017 को अग्रसारित कर दिया गया है।</p> |
| 6 | <p>नाम – मो0 शकील अहमद बीमा संख्या– 4200809885 मोबाइल नंबर– 9308067359</p> | <p>ई0 एस0 आई0 औषधालय, दीघा बाटा मजदूर यूनियन बाटा, दीघा पटना –18</p> | <p>मजदूर नेता शकील अहमद ने बीमित व्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित शिकायत/पेशानियाँ बैठक में रखी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. श्री सहदेव दास (बीमा संख्या – 4200807340) के बिल का भुगतान लंबित है। 2. एक बीमित व्यक्ति के लिए रुबन अस्पताल द्वारा Bi Pap मशीन प्रयोग करने सलाह दी है जिसे भाड़े पर लेने के लिए 7000/- प्रतिमाह की दर से भुगतान करना पड़ रहा है। इसकी प्रतिपूर्ति पर विचार किया जाए। 3. अस्पताल/औषधालय में Betabric - Eye- drop नहीं है। इसकी व्यवस्था की जाए। | <p>मजदूर नेता शकील अहमद ने बीमित व्यक्ति के बारे में बताया कि उन्हें रुबन अस्पताल में रेफर किया गया था। इलाज के बाद वाइपैप मशीन लगाने की सलाह दी गयी। जिसकी कीमत लगभग 70 हजार रुपये है। फिलहाल पैसा की कमी के कारण उक्त लाभार्थी मशीन किराये पर सात हजार प्रतिमाह की दर से चला रहे हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि इस पर वे खर्च प्रतिपूर्ति लाभार्थी को दें और उनके लिये मशीन की व्यवस्था भी की जाए। सुविधा समागम में विचार-विमर्श के बाद राज्य चिकित्सा आयुक्त, चिकित्सा अधीक्षक, और उप निदेशक चिकित्सा सेवाएँ ने सम्मिलित रूप से चिकित्सा के हित में यह कहा कि बीमित व्यक्ति के इलाज/रेफर की बात हो रही है, अतः उनके इलाज के लिए जो भी उपकरण की आवश्यकता है उसे दिया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो इसके लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय से भी विशेष अनुमति प्राप्त कर लिया जाए और फिलहाल जो किराये पर मशीन लेकर लाभार्थी लगाये हुये हैं उसके लिये भी उसी प्रकार किराये की प्रतिपूर्ति की जानी</p> | <p>मुख्यालय से अनुमति हेतु पत्र प्रेषित।</p> | <p>बीमित व्यक्ति के शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु दिनांक 13.09.2017 को संपन्न सुविधा समागम का कार्यवृत्त का अनुवर्ती कार्रवाई हेतु मुख्यालय (लोक शिकायत) क0 रा0 बी0 निगम, नई दिल्ली एवं हेतु कार्यकारिणी समिति, एवं क्षेत्रीय परिषद को आवश्यक कार्रवाई हेतु दिनांक 25.09.2017 को अग्रसारित कर दिया गया है।</p> |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>चाहिए। इसके लिए आवश्यक हो तो मुख्यालय को पत्र लिखकर विशेष अनुमति भी प्राप्त की जाएगी।</p> | | |
| .7 | <p>नाम – श्री सत्येन्द्र विश्वकर्मा बीमा संख्या– 4215259674 मोबाइल नंबर– 9386544908 7277854765</p> | <p>ई0 एस0 आई0 औषधालय, द्वारिका कॉलेज, पटना ओपेन माइंड विडला स्कूल, साहपुर पटना-16</p> | <p>बीमित व्यक्ति ने शिकायत किया कि ई0 एस0 आई0 औषधालय, द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल जमा नहीं लिया जाता है और चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित फार्म भी नहीं दिया जाता है।</p> | <p>बीमित व्यक्ति श्री सत्येन्द्र विश्वकर्मा ने बताया कि ई0 एस0 आई0 औषधालय द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति फॉर्म नहीं दिया गया और कहा गया कि यह उनका काम नहीं है। सुविधा समागम में इस पर दुःख एवं क्षोभ व्यक्त करते हुये यह निर्णय दिया गया कि निदेशक, चिकित्सा सेवाएँ, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार सरकार ऐसे ई0 एस0 आई0 औषधालय को इस संबंध में समुचित निर्देश दें। यदि कहीं पर फॉर्म खत्म हो जाता है तो वे कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय को मांग पत्र भेजने का भी निर्देश दे ताकि ये फॉर्म हमेशा लाभार्थी के लिए उपलब्ध रहे।</p> | <p>निदेशक, चिकित्सा सेवाएँ, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार सरकार</p> | <p>बीमित व्यक्ति के शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु दिनांक 13.09.2017 को संपन्न सुविधा समागम का कार्यवृत्त का अनुवर्ती कार्रवाई हेतु निदेशक, चिकित्सा सेवाएँ कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार सरकार को</p> |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | आवश्यक कार्रवाई हेतु दिनांक 25.09.2017 को अग्रसारित कर दिया गया है। |
| 8 | <p>नाम – श्री अनुज कुमार झा</p> <p>बीमा संख्या – 4201407495</p> <p>मोबाइल नंबर – 8651077754</p> <p>9939537758</p> | <p>ई0 एस0 आई0 औषधालय, मुजफ्फरपुर</p> <p>ई0 एस0 आई0 डी0, कलमबाग चौक मुजफ्फरपुर तिरुहुत बजाज मुजफ्फरपुर</p> | <p>बीमित व्यक्ति ने शिकायत किया कि क0 रा0 बी0 चिकित्सालय, मुजफ्फरपुर में चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल जमा किया था। बिल चिकित्सालय के पत्रांक 86 दिनांक 29.04.2017 के द्वारा राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय पटना के कार्यालय को भेजा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि वह राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय, पंचदीप भवन, पटना के कार्य से संतुष्ट नहीं है। उनके पत्र की छाया प्रति सुलभ संदर्भ के लिए संलग्न है। चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि 34752 /- है। कृपा कर जल्द ही भुगतान कर सूचित करें। उसने यह भी कहा कि वह एस0 एम0 सी0 कार्यालय के श्री गारा जी के व्यवहार से बहुत दुखी है। उसने कहा कि लोकल ऑफिस को बिल भुगतान करने का अधिकार दिया जाय।</p> | <p>बीमित व्यक्ति श्री अनुज कुमार झा ने अपनी समस्या रखते हुये कहा कि उनका बिल मई 2017 में ई0 एस0 आई0 औषधालय, मुजफ्फरपुर से भेजा गया है। जिसका भुगतान नहीं हुआ है। दूसरी समस्या उन्होंने यह बताई कि ई0 एस0 आई0 औषधालय, में डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने के कारण उन लोगों को इलाज कराने में असुविधा हो रही है।</p> <p>उपर्युक्त पर विचार करने के बाद सुविधा समागम में राज्य चिकित्सा आयुक्त ने आश्वासन दिया कि उनके बिल का भुगतान 15 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह बताया कि जिन ई0 एस0 आई0 औषधालय, में चिकित्सक उपलब्ध नहीं होते हैं वहाँ वे आई0 एम0 पी0 से संपर्क कर इलाज करा सकते हैं और उनके द्वारा लिखी गयी जो भी दावा होगी उसकी प्रतिपूर्ति भी की जाएगी।</p> | <p>एस0 एम0 सी0 कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना</p> | <p>बीमित व्यक्ति के शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु दिनांक 13.09.2017 को संपन्न सुविधा समागम का कार्यवृत्त का अनुवर्ती कार्रवाई हेतु राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु दिनांक 25.09.2017 को अग्रसारित कर दिया गया है।</p> |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--|
| 9 | <p>नाम – श्री प्रभाकर पाठक</p> <p>बीमा संख्या – 4215172116</p> <p>मोबाइल नंबर – 8540844206</p> | <p>ई0 एस0 आई0 औषधालय, जमाल रोड/श्री कृष्णानगर जननी (एन0 जी0 ओ0) सूर्या क्लिनिक दो पुलवा, जी0 पी0 ओ0, चाँद पुरबेला, पटना – 800001</p> | <p>बीमित व्यक्ति ने शिकायत किया कि मैंने गॉल ब्लाडर का ऑपरेशन कराया था जिसका चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल दिनांक 19.09.2016 को जमा कर दिया था लेकिन अभी तक चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल का भुगतान नहीं हुआ है।</p> | <p>बीमित व्यक्ति श्री प्रभाकर पाठक ने बताया कि एम0 आर0 सी0 बिल 19.09.2016 को ई0 एस0 आई0 सी0 कार्यालय में भेजा गया था। परंतु अभी तक बिल का भुगतान नहीं हुआ है। सुविधा समागम में परिचर्चा के बाद यह निर्णय हुआ कि राज्य चिकित्सा आयुक्त महोदय बीमित व्यक्ति का बिल एक महीने के अन्दर भुगतान करा देंगे।</p> | <p>एस0 एम0 सी0 कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना</p> | <p>बीमित व्यक्ति के शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु दिनांक 13.09.2017 को संपन्न सुविधा समागम का कार्यवृत्त का अनुवर्ती कार्रवाई हेतु राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु दिनांक 25.09.2017 को अग्रसारित कर दिया गया है।</p> |
|---|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|----|--|--|--|---|---|--|
| 10 | <p>नाम – श्री कुमार गौतम</p> <p>बीमा संख्या – 4215595334</p> <p>मोबाइल नंबर – 9162228121</p> | <p>को-ओपरेटिव, रोड नं०-1</p> <p>मकान संख्या – 372</p> <p>सतधरवा, नियर – एस० बी० आई० बैंक भोजपुर, आरा पेरेग्रेइन गार्डिंग प्रा० लि०</p> | <p>बीमित व्यक्ति ने अपनी पत्नी के इलाज से संबंधित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल के भुगतान के संबंध में शिकायत किया।</p> | <p>श्री कुमार गौतम, बीमित व्यक्ति, ने बताया कि उनकी पत्नी की डिलेवरी आपातकालीन स्थिति में सिदार्थ मल्टीस्पेसलिटी अस्पताल में करानी पड़ी। उन्होंने जानना चाहा कि इसकी प्रतिपूर्ति कैसी होगी।</p> <p>सुविधा समागम में राज्य चिकित्सा आयुक्त महोदय ने कहा कि चूँकि अस्पताल आरा का है और आई० एम० पी० से अटैच है। अतः उनका आपातकालीन में कराये गये इलाज की प्रतिपूर्ति उनके कार्यालय के द्वारा की जाएगी इनके लिए उन्होंने बीमित व्यक्ति को सलाह दिया कि वे नियमानुसार प्रतिपूर्ति दावा चिकित्सक से प्रतिहस्ताक्षरित करा कर सभी कागजात के साथ शाखा कार्यालय आरा या आई० एम० पी०/डॉक्टर के पास भेज दें।</p> | <p>ई० एस० आई० औषधालय, आरा</p> | <p>बीमित व्यक्ति के शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु दिनांक 13.09.2017 को संपन्न सुविधा समागम का कार्यवृत्त का अनुवर्ती कार्रवाई हेतु डॉ० विजय कुमार गुप्ता एवं डॉ० संजीता गुप्ता, C/o R.L. Memorial Hospital, In front of Judge Kothi, Ramna-Pakri Road, Arrah – 802301 को आवश्यक कार्रवाई हेतु दिनांक 25.09.2017 को अग्रसारित कर दिया गया है।</p> |
| 11 | <p>नाम – श्री वीरेन्द्र कुमार विक्रम</p> <p>बीमा संख्या – 4201246425</p> <p>मोबाइल नंबर – 9934965517</p> | <p>ई० एस० आई० औषधालय, फुलवारीशरीफ, पटना</p> <p>एस० आई० एस० सर्विसेज लि०</p> | <p>बीमित व्यक्ति ने शिकायत किया कि मैं दिनांक 12.17.2017 के सुविधा समागम में भाग लिया था तथा उसमें हमने अपनी समस्या जो कि आई० भी० एफ० के बारे में है रखा था लेकिन दो महीने के बाद भी मुझे कोई सूचना नहीं मिल पाई कि आई० भी० एफ० का टाई-अप हुआ या नहीं।</p> | <p>बीमित व्यक्ति ने आई० भी० एफ० की सुविधा के बारे में समस्या रखी।</p> <p>इस पर राज्य चिकित्सा आयुक्त महोदय ने कहा कि आई० भी० एफ० के लिए किसी अस्पताल ने आवेदन नहीं दिया है। इसके लिए पुनः निविदा जारी की जाएगी और शीघ्र व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा।</p> | <p>एस० एम० सी० कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना</p> | <p>बीमित व्यक्ति के शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु दिनांक 13.09.2017 को संपन्न सुविधा समागम का कार्यवृत्त का अनुवर्ती</p> |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|---|---------------|--|
| | | | अगर नहीं हुआ है तो कृपया कर अविलंब इसकी टाई-अप व्यवस्था करने की कृपा की जाए। | | | कार्रवाई हेतु राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु दिनांक 25.09.2017 को अग्रसारित कर दिया गया है। |
| 12 | <p>नाम – श्री रंजीत कुमार</p> <p>बीमा संख्या – 4215323103</p> <p>मोबाइल नंबर – 9334691506</p> | ई0 एस0 आई0 औषधालय, फुलवारीशरीफ, पटना पता- विंदेश्वर प्रसाद सगुना (नदी पर) दानापुर कैंट | <p>बीमित व्यक्ति ने शिकायत किया कि मैंने हर्निया का ऑपरेशन करवाया। ई0 एस0 आई0 औषधालय, फुलवारीशरीफ, में जानकारी नहीं होने के कारण मैं फिटनेस नहीं ले सका। इस के संबंध में छुट्टी के पैसे का भुगतान कराया जाए।</p> | बीमित व्यक्ति को सलाह दिया गया कि वे अस्पताल के इलाज की पर्ची के साथ फिटनेस का भी सर्टिफिकेट शाखा कार्यालय में जमा करें। उनका भुगतान कर दिया जाएगा। | शाखा कार्यालय | <p>बीमित व्यक्ति के शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु दिनांक 13.09.2017 को संपन्न सुविधा समागम का कार्यवृत्त का अनुवर्ती कार्रवाई हेतु राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना को</p> |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | आवश्यक कार्रवाई हेतु दिनांक 25.09.2017 को अग्रसारित कर दिया गया है। |
| 13 | <p>नाम – श्री मनोज कुमार बीमा संख्या— 4215128716 मोबाइल नंबर— 7803231145</p> | <p>ई0 एस0 आई0 औषधालय, जमाल रोड/श्री कृष्णानगर गर्दनीबाग रोड नंबर— 6/17 मित्र मार्केटिंग सर्विसेज</p> | <p>बीमित व्यक्ति ने शिकायत किया कि मैं किडनी ट्रांसप्लांट का मरीज हूँ। मेरा एक बिल 14132/- रु0 का है जो मैंने औषधालय में 19.04.2017 को जमा किया था पर अभी तक उसका पैसा नहीं मिला है पर उसके बाद के बिल का पैसा मिल गया है। मैंने पिछली बार भी शिकायत किया था। मेरा रु0 14132/- का बिल नियोजक भवन से 20.06.2017 को भेजा गया था।</p> | <p>राज्य चिकित्सा आयुक्त महोदय ने कहा कि संभवतः बिल का भुगतान हो गया है और नहीं हुआ होगा तो अतिशीघ्र कर दिया जाएगा।</p> | <p>एस0 एम0 सी0 कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना</p> | <p>बीमित व्यक्ति के शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु दिनांक 13.09.2017 को संपन्न सुविधा समागम का कार्यवृत्त का अनुवर्ती कार्रवाई हेतु राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु दिनांक 25.09.2017 को अग्रसारित कर दिया गया है।</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

सुविधा समागम की बैठक क्षेत्रीय निदेशक के धन्यवाद ज्ञापन के उपरांत संपन्न हुई।

(जयंत कुमार)
सहायक निदेशक (हितलाभ)

प्रतिलिपि :-

1. नाम - श्री रविन्द्र कुमार, बीमा संख्या - 4201432232, पता - कलावती इन्टरप्राजेज प्रा0 लिमिटेड, आई0 ए0 एस0 कॉलोनी, किदवईपुरी, पटना
2. नाम - श्री मनोहर कुमार, बीमा संख्या - 4215163876, पता - अनन्या ट्रेक्स, नासरीगंज दीघा, पटना -12
3. नाम - श्री मदन कुमार सिंह, बीमा संख्या- 6015621068 पता - ड्रीम ज्वेल अपार्टमेंट, आर0 के0 पुरम0 सगुना मोड़, पटना। फ्लैट नंबर - 306, बी0 ब्लॉक
4. नाम - श्री सुबोध कुमार केशरी, बीमा संख्या - 4215363165 पता - बाटा इण्डिया लिमिटेड, बाटागंज
5. नाम - श्री संतोष कुमार शर्मा, बीमा संख्या- 4200697110, बाटा इण्डिया लिमिटेड, बाटागंज
6. नाम - मो0 शकील अहमद, बीमा संख्या- 4200809885, पता- बाटा मजदूर यूनियन बाटा, दीघा पटना -18
7. नाम - श्री सतेन्द्र विश्वकर्मा बीमा संख्या- 4215259674
8. नाम - श्री अनुज कुमार झा, बीमा संख्या - 4201407495, तिरुहुत बजाज मुजफ्फरपुर
9. नाम - श्री प्रभाकर पाठक बीमा संख्या - 4215172116, जननी (एन0 जी0 ओ0) सूर्या क्लिनिक दो पुलवा, जी0 पी0 ओ0, चाँद पुरबेला, पटना - 800001
10. नाम - श्री कुमार गौतम, बीमा संख्या - 4215595334, सतधरवा नियर - एस0 बी0 आई0 बैंक भोजपुर, आरा पेरेग्रेडन गार्डिंग प्रा0 लि0
11. नाम - श्री वीरेन्द्र कुमार विक्रम, बीमा संख्या - 4201246425, एस0 आई0 एस0 सर्विसेज लि0
12. नाम - श्री रंजीत कुमार, बीमा संख्या - 4215323103, पता- विंदेश्वर प्रसाद सगुना (नदी पर) दानापुर कैंट
13. नाम - श्री मनोज कुमार, बीमा संख्या- 4215128716 पता - गर्दनीबाग बाग रोड नंबर- 6/17 मित्र मार्केटिंग सर्विसेज
- 14 सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी

सहायक निदेशक (हितलाभ)

